

BOHRA INDUSTRIES LIMITED



CIN: L24117RJ1996PLC012912

Registered Office: 301, Anand Plaza, University Road, Udaipur, Rajasthan 313001
Email id: bil@bohraindustries.com, Phone: +91-294-2429513; Fax: +91-294-2429515
Website: <http://www.bohraindustries.com>

Date: 27/09/2025

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza Block G, C 1, Bandra Kurla Complex, G
Block BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai, Maharashtra 400051

NSE Symbol: BOHRAIND ISIN: INE802W01023

Sub: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")-Newspaper Publication - Corrigendum to the Notice of the Annual General Meeting.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper Publications in the Financial Express (English) and Hukmnama Samachar (Hindi) relating to Corrigendum to the notice of Annual General Meeting of the company to be held on 30th September, 2025.

A copy of the said newspaper Publication is enclosed for your reference and record.

Thanking you,

Yours sincerely,
For Bohra Industries Limited

ATUL DAVE
MANAGING DIRECTOR
DIN: 09696561

Enclosed: As above.



**RP-Sanjiv Goenka
Group**
Growing Legacies



**CESC
LIMITED**

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tender is invited by Executive Director, Power Marketing, CESC Ltd on 25.09.2025, having registered office at CESC House, Chowringhee Square, Kolkata-700001 for purchase of power on Short Term basis from April, 2026 to June, 2026 as per Ministry of Power (MOP), GOI guidelines dated 30.03.2016 and amendments thereof.

Soft copies of tender documents are available on www.mstcecommerce.com and www.cesc.co.in

The bids are to be submitted electronically through DEEP Portal of MSTC.

 **BOHRA INDUSTRIES LIMITED**
CIN: L24117RJ1996PLC012912
Registered Office: 301, Anand Plaza, University Road, Udaipur, Rajasthan 313001
Email id: bil@bohraindustries.com Phone: +91-294-2295112; Fax: +91-294-229515
Website: www.bohraindustries.com

CORRIGENDUM

to the Notice of the 29th (Twenty-Ninth) Annual General Meeting (AGM) of the members of Bohra Industries Limited (CIN: L24117RJ1996PLC012912) scheduled to be held on Tuesday, 30th September 2025 at 01:00 P.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the said Notice dated 7th September 2025. It is hereby informed that:

The second item under Ordinary Business in the AGM Notice, pertaining to the appointment of Mr. Krishna Agarwal (CIN: 09402238), who was liable to retire by rotation and had offered himself for re-appointment, shall stand withdrawn.

This is due to the fact that Mr. Krishna Agarwal has tendered his resignation from the Board of Directors with effect from 12th September 2025, prior to the date of the AGM. Accordingly, the said resolution will not be placed before the members for approval.

Members are requested to take note of the following modifications in the AGM Notice:

1. Ordinary Business – Item No. 2 relating to the re-appointment of Mr. Krishna Agarwal is deleted.
2. Note No. 19 in the Notice stands removed.
3. The subsequent agenda items (from Item No. 3 to Item No. 6 in the Explanatory Statement) shall be renumbered sequentially.

The Members are requested to read the AGM Notice dated September 07, 2025 in conjunction with this Addendum/Corrigendum for modifications and/or insertions in the Explanatory Statement of the AGM Notice mentioned above.

All other contents of the AGM Notice, save and except as modified and/or inserted by this Addendum/corrigendum, shall remain unchanged.

This Corrigendum is also being published in the Financial Express (English Language) and Hukkuma Samachar(Hindi Language) and will also be made available on website of Stock Exchange of National Securities, Exchange of India Limited and on the website of the Company at: www.bohraindustries.com.

By Order of the Board of Directors of **Bohra Industries Limited**
Sd/- Anshu Kumar Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

 HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: No.167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai- 600015, and Branch office: at F8, 1st floor, Mahalakshmi Tower, Sector, Vaishali, Ghaziabad- 201010. Authorized Officer: Mr. Arun Mohan Sharma, Contact No.: 8800898999. Email: arunmohan.sharma@hindujahousingfinance.com;

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

Sale of Movable & Immovable Assets Charged To HHFL Under The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act 2002 (sarfaesi Act).

The undersigned as Authorized Officer of HHFL has taken over possession of the schedule property as '14(1) of the SARFAESI Act. Public at large is informed that the secured property as mentioned in the Schedule are available for sale through Private Treaty, as per the terms agreeable to HHFL for realization of its dues; as 'AS IS WHERE IS BASIS' and 'AS IS WHAT IS BASIS'. Standard terms & conditions for sale of property through Private Treaty are as under:

1. Sale through Private Treaty will be on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS".

2. The purchaser will be required to deposit 25% of the sale consideration on the next working day of receipt of HHFL's acceptance of offer for purchase of property and the remaining amount within 15 days thereafter. 3. The purchaser has to deposit 10% of the offered amount along with application which will be adjusted against 25% of the deposit to be made as per clause (2) above.

4. Failure to remit the amount as required under clause (2) above will cause forfeiture of amount already paid including 10% of the amount paid along with application. 5. In case of non-acceptance of offer of purchase by the HHFL, the amount of 10% paid along with the application will be refunded without any interest. 6. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to HHFL. The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims / rights / dues. 7. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property (under sale through private treaty) to his satisfaction. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the Authorized Officer / Secured Creditor in this regard at a later date. 8. HHFL reserves the right to reject any offer of purchase without assigning any reason. 9. In case of more than one offer, HHFL will accept the highest offer. 10. All the necessary documents may be obtained from the Authorized Officer for further details / clarifications and for submitting their application on or before 13.10.2025. The process shall be concluded on 14.10.2025. 11. The purchaser has to bear all stamp duty, registration fee, and other expenses, taxes, duties in respect of purchase of the property. 12. Sale shall be in accordance with the provisions of SARFAESI Act / Rules.

SCHEDULE Description of the Property (Secured Asset): Freehold residential Flat no. TF 03 on Third floor built on Plot no. 41 & 42 Falling under Kharsa no. 1241 situated at Krishan apartment Raj Compound in village Shalpur Bametha, Pargana Dasna Tehsil & Dist. Ghaziabad (U.P). Boundaries: East-Property of Digar, West-Flat no. TF 4, North-Property of Digar, South-Rasta 20 ft wide & entire passage of gallery gate

HERO HOUSING FINANCE LIMITED						
 Regd. Office: 09, Community Centre, Bussok, East, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Phone: 011 49267000. Toll Free Number: 1800 212 8800. Email: customer.care@herooff.com Website: www.herohousingfinance.com CIN: U65192DL2616PLC30148 Contact Address: A-6, Third Floor, Sector-4, Noida - 201301.						
DEMAND NOTICE						
Under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").						
Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Hero Housing Finance Limited (HHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)" listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s), within 60 days from the date of the respective Notice(s), as per details given below. Copies of the said Notice(s) are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to HHFL, within 60 days from the date of the respective Notice(s), the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HHFL by the said Obligor(s) respectively.						
Loan Account No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Total Outstanding Dues (Rs.) as on below date	Date of Demand Notice			
			Date of NPA			
HHFGAZHOU24000046477 & HHFGAZLAP24000046470	Ravi Kumar, Anju Rani	Rs. 1261767/- as on 12.09.2025	15-09-2025 04-09-2025			
Description of the Secured Assets/immovable properties/ mortgaged properties: House No.45, Havling Area Measuring 50 Sq. Yds. i.e. 41.8 Sq. Mtrs., Out of Khalsa No. 1704, Situated At Vajay Endo-Hill, Village- Kheda Dhamrampur Majra Chhapra, Pargana & Tehsil Dandi & Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. Bounded By: East- Rasta 18ft. Wide West-Plot of Other's, North- House of Other's South- Plot of Other's						
HHFLXAHOU22000022773 & HHFLXALAP22000022770	Santosh Jha, Babita Devi, Mohit Jha	Rs. 3004360/- as on 12.09.2025	15-09-2025 04-09-2025			
Description of the Secured Assets/immovable properties/ mortgaged properties: Built Up Second Floor Plinth Measuring Area 50.166 Sq. Mtrs i.e. 60 Sq. Yds Consisting of Two Bedrooms. One Drawing Room, One Kitchen, One Toilet Bathroom, Without Roof Rights, Situated on Plot 7 of constructed On Old Plot No. 31/Khasra No. 1259/510 Ganesh Nagar-II, Shakar Pur Village Mandawali/Fazilpur, Delhi-110092. Bounded By: East- Road 25 Ft Wide West/ Plot of Property No. 7, North- Plot of Property No. 8 South- Part of Property No. 7						
HHFLXAHOU23000040185	Wazid Ali, Shahnaq Daughter of Jalaaluddin	Rs.2298905/- as on 12.09.2025	15-09-2025 04-09-2025			
Description of the Secured Assets/immovable properties/ mortgaged properties: Flat No. S/3- Second Floor Front Lrms With Roof, Hig. Plot No. B-14, Kharsa No 235, Block-B. Having Area Measuring 620 Sq. Ft i.e. 57.60 Sq. Mtrs. Ravi Vihar Sekharia Was Samiti Ltd., Village Sadullabad, Tehsil Loni, District Ghaziabad-201102. Bounded By: East: 25 Ft Wide Road / Entry Vihar Plot No. B-6 / S/1- North, Plot No. B-15 / S/2 South, Plot No. B-13						
HHFNOIHOU23300038142	Yogendra Singh, Komal Rani,	Rs.1005038/- as on 12.09.2025	15-09-2025 04-09-2025			
Description of the Secured Assets/immovable properties/ mortgaged properties: Flat No. E 156/a, Ews on First Floor Having Area Measuring 33.76 Sq. Mtrs Consisting of one Bedroom, Kitchen, Toilet Bathroom And Slairs, Block-E, Madhuban Apartment, Pargana Dasia, Ghaziabad-201002.						
HHFNSPHOU22000020119	Kaushik Chand,	Rs.3570991/- as on 12.09.2025	15-09-2025 04-09-2025			
HHFNSPLAP22000023658	Radha Devi Sharma	12.09.2025	04-09-2025			
Description of the Secured Assets/immovable properties/ mortgaged properties: Entire Third Floor With Its Roof/tenure Rights And Above Part of Freehold Builtup Property Bearing No. WZ-3083 Built on Old Plot No.34 Area Measuring 75 Sq Yards (62.70 Sq Mtrs) Plot of Mustafal No. 28 Kila No. 31 Situated in The Area of Village Shakar Pur Delhi New Colony as Mahindra Park Shakar Basti Delhi- 110034. Boundaries: East: Road West: Gali, North: Other Property South: Other Property						
HHFNSPHOU190000303771	Pintu Son of Jai Singh, Aarti Daughter of Pritam Singh,	Rs.1500396/- as on 12.09.2025	15-09-2025 07-09-2025			
Description of the Secured Assets/immovable properties/ mortgaged properties: Residential Flat No Ugf-1, Upper Ground Floor (L.I.G Type, R/CHS) Consisting of One Bedroom, One Drawing/Dinning Room, One Kitchen, One Toilet-bathroom & Balcony Having Covered Area Measuring 500 Sq Ft. i.e 46.45 Sq Meters On Plot No. 58 Situated in Residential Colony Vikram Endave Ghaziabad, Tehsil And District Ghaziabad, Bounded As: East: Service Lane West: Road 40 Feet Wide North: Plot No 59 South: Plot No 57						
HHFNSPHOU19000005596	Rajesh Shukla, Komal Shukla,	Rs.691662/- as on 12.09.2025	15-09-2025 07-09-2025			
Description of the Secured Assets/immovable properties/ mortgaged properties: Residential Flat No Ff-04 Rhs Rear Side Without Roof Rights, L.I.G. Plot Number B-485 Kharsa No 227 Area 37.50 Sq Meters Situated Ravi Vihar Sakharia Awas Samiti Ltd. Hadbast Village Sadullabad Pargana And Tehsil Loni District Ghaziabad, Bounded As: East: Plot No. B-44, West: Plot No. B-46, North: Plot No. B-74, South: Rasta 30 Feet Wide						
"with further interest, additional interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notice date mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to HHFL, As aforesaid, then HHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable property(ies) under Section 13(v) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the costs and consequences. The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.						
Date: 27.09.2025			For Hero Housing Finance Limited			
Place: Delhi			Sd/-Authorised Officer			

राज्यपाल ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ली बैठक

भारतीय ज्ञान परंपरा का उपयोग कर बढ़ाएं बच्चों की बौद्धिक क्षमता : बागडे

उदयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत ज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। वैज्ञानिकों, प्रोफेसर्स को चाहिए कि वे भारतीय ज्ञान परंपरा का शोध-अनुसंधानों में उपयोग करते हुए बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें। राज्यपाल बागडे उदयपुर में शुक्रवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, संबद्ध महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने विस्वविद्यालय के अकादमिक ढांचे, नामांकन की स्थिति, छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित विद्यार्थियों, परीक्षा व्यवस्था, वित्तीय स्थिति, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति, रॉस्टर प्रणाली, विश्वविद्यालय की उपलब्ध एवं बिल्टअप भूमि आदि के बारे



में विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत आदिकाल से ज्ञान का कोष रहा है। उन्होंने भारद्वाज ऋषि सहित अन्य का उदाहरण देते हुए उनके लिखे ग्रंथों का उल्लेख किया। उन्होंने ऐसी पुस्तकों को

विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखने तथा उनका अध्ययन करने तथा अनुसंधान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे युवा पीढ़ी में देश के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं

है। अमरिका सहित पूरा विश्व भारतीय टेलेन्ट पर निर्भर है। यही वजह है कि 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद अमरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और वर्तमान में चल रहे हालातों में

भी भारत मजबूती से खड़ा है। बागडे ने विश्वविद्यालय की ओर से गोद लिए गए गांवों में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। गोद लिए गांवों में स्वच्छता आदि गतिविधियां चलाना ही पर्याप्त नहीं हैं। वहां का समूचा वातावरण बदलना चाहिए।

इन गांवों में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों-शिक्षकों, कार्मिकों आदि को जोड़ते हुए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कहानी-प्रेरक किस्सों आदि के माध्यम से शिक्षित-दीक्षित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, ताकि उनकी नींव मजबूत हो और वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसी से गांव का परिदृश्य बदलेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भी पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपने लोकल परिवेश के साथ जोड़ते हुए पढ़ाने की पक्षधर है।

श्रीगणेश मंदिर में मंदिर समिति द्वारा जागरण का आयोजन

टोंक (हुक्मनामा समाचार)। श्रीअन्नपूर्णा गणेश मंदिर प्रत्यास समिति के तत्वाधान में श्रीगणेश जी विदाई कार्यक्रम के अंतर्गत समिति के संरक्षक मठाधीश महंत कैलाशपुरी के सानिध्य में गुरुवार को रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार बैरवा, उपाध्यक्ष विजय तसेरा एवं प्रवक्ता प्रेम रघुवंशी ने बताया कि रात्रि जागरण का शुभारंभ भगवान गणेश जी की मंदिर के प्रमुख पुजारी दीपक पुरी एवं पंडित ओम बाबा के सानिध्य में पूजा-अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर भजन मंडली के गायक कलाकारों जिनमें बना, भंवर भाई, सुनील एवं छोट्टू भाई आदि ने अपनी भजन प्रस्तुतियां देकर वातावरण भक्तिमय कर दिए जाने पर श्रोतागण नाचने पर मजबूर हो गए। प्रातः चार बजे भगवान गणेश जी की आरती की गई एवं शुक्रवार को मंदिर परिसर में सार्यंकाल भक्तगणों को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष कमलेश वैष्णव, आरएनएफ पहाडिया, महामंत्री कालूराम सैनी, लखन सेनी, भगवान प्रजापत, सुनील सैनी, दिया गोस्वामी, गुड्डू देवी, पुनीत पुरी आदि मौजूद रहे। प्रवक्ता प्रेम रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर समिति के निर्णय अनुसार भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के अंतर्गत महीने की प्रत्येक चतुर्थी पर रात्रि जागरण वर्ष पर्यंत किए जाएंगे, जिसकी पूर्णाहुति अनंत चतुर्थी गणेश उत्सव के मौके पर विशाल भजन संध्या का आयोजन कर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में श्रीगणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य आयोजन मंदिर समिति के तत्वाधान में किय जायेंगे।



शिक्षक संघ राष्ट्रीय का दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू शिक्षक समाज का आइना : रामलाल शर्मा

जमवारामगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय (जयपुर द्वितीय) का दो दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार दिनांक 26 सितंबर को चोमू मोरीजा स्थित प्रेम पैलेस में शुरू हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपाशाखा जमवारामगढ़ के पूर्व मंत्री जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 11.00 बजे सम्मेलन का बौद्धिक सत्र शुरू हुआ। मुख्य वक्ता प्रांत संपर्क प्रमुख विवेक गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विवेक गुप्ता ने बौद्धिक सत्र में जिला सम्मेलन में उपस्थित



शिक्षकों को संबोधित किया। पीटीआई जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि सुबह 1.00 बजे सम्मेलन का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। जिसमें पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने शैक्षिक सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। प्रदेश प्रवक्ता (भाजपा)

व पूर्व विधायक चौमू रामलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज का आइना है। शैक्षिक सम्मेलन के पर्यवेक्षक एवं संरक्षक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उमराव लाल वर्मा व संपादक शिक्षक संदेश नवीन शर्मा ने शिक्षकों को संबोधित किया। सम्मेलन में शैक्षिक उन्नयन के लिए विषय परिचर्चा, शिक्षकों समस्याओं को लेकर मंथन तथा आगामी 6,7, एवं 8 अक्टूबर को जामडोली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भी चर्चा हुई।

शारीरिक शिक्षक व वुशू कोच प्रमोद बैरागी विद्यालयी राज्य स्तरीय वुशू प्रतियोगिता में निर्णायक नियुक्त

जमवारामगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। वुशू कोच एवं शारीरिक शिक्षक प्रमोद बैरागी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में शामिल करने पर जमवारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में खुशी की लहर है। खासकर खेलप्रेमियों एवं शिक्षक वर्ग में पीटीआई रामेश्वर मीणा, जगदीश प्रसाद शर्मा एवं महावीर सिंह मीणा सहित शारीरिक शिक्षकों ने विशेष खुशी जाहिर करते हुए बैरागी को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान द्वारा महत्वा गांधी राजकीय मल्टीपरपज विद्यालय गुमानपुरा कोटा में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय वुशू प्रतियोगिता छात्र/छात्रा वर्ग (17/19) वर्ष के सफल आयोजन हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गनवली के शारीरिक शिक्षक प्रमोद बैरागी को निर्णायक नियुक्त किया गया है। सभी खेल प्रेमियों ने निर्णायक नियुक्त होने पर खुशी जाहिर है।



उखलाना पंचायत द्वारा आवंटित खेल मैदान पर दबंगों ने किया अतिक्रमण

मुख्यमंत्री कार्यालय से खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने के कलक्टर टोंक को दिए आदेश

सवाई माधोपुर (हुक्मनामा समाचार)। जिले के निकटवर्ती टोंक की अलीगढ़ तहसील के ग्राम उखलाना में ग्राम पंचायत उखलाना द्वारा राजकीय विद्यालय के निकट सरकारी भूमिका का खेल मैदान हेतु आवंटन कर खेल मैदान की स्वीकृति हेतु जिला परिषद टोंक को तकमीना व प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। गांव के जागरूक लोगों ने बताया कि उक्त खेल मैदान की सरकारी भूमि पर कुछ प्रभाव शाली दबंग लोगों ने जबर्न अतिक्रमण कर लिया जिसकी कई बार मौखिक व लिखित शिकायतें जिला प्रशासन को की गई लेकिन किसी अधिकारी ने खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ग्रामीणों ने



कार्यवाही के चलते तहसीलदार अलीगढ़ ने 12 सितम्बर को नायब तहसीलदार सौंप के नेतृत्व

में 2भू अभिलेख निरीक्षकों तथा 6पटवारियों की एक टीम बनाकर 23 सितम्बर को उखलाना ग्राम के

उपजिला कलक्टर उनियारा को अतिक्रमण हटाने के आदेश की प्रति भेजकर 20 पुलिस कांस्टेबल पुरुष तथा 10 महिला कांस्टेबल उपस्थित हटाने वाली राजस्व विभाग टीम को उपलब्ध कराने की बात कही वहीं तहसीलदार ने उखलाना पंचायत को भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का कहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी कागजी कार्यवाही होने के साथ ही कलक्टर और मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशे अतिक्रमणकारियों के सामने पूरी तरह बोनो साबित हो गए ,क्यों कि आजतक तहसीलदार द्वारा गठित 9 सदस्यीय टीम गांव में जाकर खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है।

एक नजर

आज जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित होंगे ग्रामीण सेवा शिविर

श्रीगंगानगर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं का निदान गांव में ही हो, इस बात को लेकर सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 प्रारम्भ किये गये हैं। जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि जिले के विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें 16 विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर रहकर आमजन की समस्याओं का निदान करेंगे। जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण सेवा शिविर को गंभीरतापूर्वक लेकर अधिकतम समस्याओं का मौके पर ही निष्पादन किया जाये। शनिवार को इन गांवों में लगेंगे ग्रामीण सेवा शिविर-उपखण्ड गंगानगर में 27 सितम्बर को गांव संगतपुरा एवं दौलतपुरा में, उपखण्ड रायसिंहनगर में गांव 22 पीएस एवं फोजुवाला में, उपखण्ड पदमपुर के गांव 1पीएस एवं फकीरवाली में, उपखण्ड विजयनगर क्षेत्र के गांव मसानीवाला एवं मधेवाली ढाणी में, उपखण्ड सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव उदयपुर गोदारान एवं 1एलएम, उपखण्ड श्रीकरणपुर के गांव 25 एच एवं गुरूसर, उपखण्ड घडसाना के गांव 7 एमएलडी एवं 4 केपीडी, उपखण्ड सादुलशहर के गांव मोरजण्ड खारी एवं मम्मड़खेड़ा में शिविर आयोजित किये जायेंगे।

श्यामा राज एक्ट्रेस,डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने की प्रेस कॉन्फेंस मूवी(एक अधूरा प्रेम चैप्टर) आगामी फिल्म के बारे में विस्तार से की चर्चा

सवाई माधोपुर (हुक्मनामा समाचार)। जला मुख्यालय के आलनपुर स्थित एक मैरिज गार्डन में शुक्रवार दोपहर तीन बजे टीवी कलाकार श्यामा राज,डायरेक्टर हेमंत कुमार शर्मा, प्रोड्यूसर आशीष नरवाल क्रिएटिव डायरेक्टर गिया शर्मा द्वारा एक प्रेस कॉन्फेंस रखी गई। जिसमें डायरेक्टर हेमंत शर्मा ने अपनी आगामी फिल्म के बारे में विस्तार से चर्चा की उन्होंने बताया कि यह मूवी ह्रस्प्र प्रोडक्शन के द्वारा बनाई जा रही है। जिसमें लीड रोल श्यामा राज एक्ट्रेस का होगा। जिन्होंने शिव शक्ति,रामायण वीर हनुमान अन्य कई टीवी शो में अपना किरदार निभाया है। जिसके बाद अब ये हमारी आने वाली मूवी में भी अपना किरदार निभाएंगी। प्रोड्यूसर का कहना है कि चार साल से ज्यादा इनके कैरियर को हो चुका है।इस मूवी की शूटिंग को दिसंबर और जनवरी तक सवाई माधोपुर में पूरा करने का लक्ष्य है या आगे थोड़ा समय और लग जाए। उन्होंने बताया कि इस मूवी की पूरी शूटिंग सवाई माधोपुर में ही होगी। उनका कहना है कि यह फिल्म पूरे राजस्थानी कल्चर के ऊपर बनाई जाएगी। वही फिल्म की एक्ट्रेस जो बिहार की निवासी है जिनको शुरू से ही टीवी सीरियल और फिल्में में में काम करने का जज्बा था। एक्ट्रेस श्यामा राज अपनी मेहनत के बल पर मुकाम हासिल किया और मुंबई पहुंचकर टीवी सीरियल में अपना किरदार बखूबी निभाकर काम किया। श्यामा राज ने अबतक शिव शक्ति,रामायण,वीर हनुमान जैसे प्रचलित टीवी सीरियल में अपना किरदार निभाया और अब फिल्म के पदों पर अपना किरदार निभाने के लिए तयार है।

डिप्टी सीएम ने किया बस स्टेंड का निरीक्षण फैली गंदगी एवं अव्यवस्थाओं को देखकर की नाराजगी जाहिर

टोंक (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान सरकार के उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को टोंक रोडवेज बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्रेमचंद बैरवा ने बस स्टैंड पर फैली गंदगी एवं अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जाहिर की। पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि यह बदला हुआ भारत है, देश में पिछले दस सालों में तस्वीर बदली है। उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर की स्वच्छता का संदेश दिया। उप-मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि आज देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आज हमारी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। मोदी के कार्यकाल में पिछले दस सालों में जो भी कहा वह हुआ है, राम मंदिर के निर्माण से लेकर गांव में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेकों योजनाएं हैं। इससे पूर्व उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के टोंक आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भाजपा जनसेवा संवाद केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास को लेकर अग्रसर है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार बनने का श्रेय किसी को जाता है तो वह कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सरकार को योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला प्रमुख सरोज बंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराना, गणेश माहुर, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोल्या, दीपक संगत, नरेश बंसल, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, प्रधान कारका, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिरोट्टा, जिला मंत्री हरिराम यादव, तरुण टिकितवाल, मीडिया प्रभारी कमलेश यादव, विनायक जैन, पंकज पहाडिया, हनुमान बैरवा एवं देवराज गुर्जर आदि मौजूद थे।



श्री जी के दर्शन, अभिषेक, पूजन स्वाध्याय विनय पूर्वक करना चाहिए, विनय मोक्ष का द्वार है :वर्धमान सागर

टोंक (हुक्मनामा समाचार)। आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने कहा कि भगवान की जय जयकार आप करते हैं, जय जयकार भगवान के गुणों की जाती है। जयकार करने का उद्देश्य यही होता है कि हम भी भगवान, आचार्य साधु परमेष्ठि के गुणों को प्राप्त करें। जिस प्रकार अधरे को प्रकाश दूर करता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार जिनवाणी श्रुत से दूर होता है। कोई भी धार्मिक कार्य चाहे दर्शन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, स्वाध्याय हो, आहार देना हो आप को बिना आकुलता के विधि पूर्वक विनय पूर्वक करना चाहिए। संसारी प्राणी धार्मिक कार्यों में जल्दबाजी करता है, जबकि व्यापार करना हो तो पूरी एकाग्रता रहती है, धैर्य रखते हो, ग्राहक का भी आप विनय करते हो, किंतु मंदिर आने पर भगवान की, आचार्य, साधु परमेष्ठि, जिनवाणी कि आप विनय नहीं करते हैं, जबकि विनय मोक्ष का द्वार कहा गया है। अभी मुनि चिंतन सागर महाराज ने आपको अपने चिंतन से बतलाया कि भगवान को अर्ध्य द्रव्य कैसे चढ़ाना चाहिए तथा उनका क्या आशय मतलब है। इस बारे में आपको विस्तृत रूप से बतलाया हैं।

**BOHRA INDUSTRIES LIMITED**
CIN: L24117RJ1996PLC012912
Registered Office: 301, Anand Plaza, University Road, Udaipur, Rajasthan 313001
Email id: bi@bohraindustries.com, Phone: +91-294-2429513; Fax: +91-294-2429515
Website: <http://www.bohraindustries.com>

CORRIGENDUM
to the Notice of the 29th (Twenty-Ninth) Annual General Meeting (AGM) of the members of Bohra Industries Limited (CIN: L24117RJ1996PLC012912) scheduled to be held on Tuesday, 30th September 2025 at 01:00 P.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the said Notice dated 7th September 2025. It is hereby informed that:
The second item under Ordinary Business in the AGM Notice, pertaining to the appointment of Mr. Krishna Agarwal (DIN: 09402238), who was unable to retire by rotation and had offered himself for re-appointment, shall stand withdrawn.
This is due to the fact that Mr. Krishna Agarwal has tendered his resignation from the Board of Directors with effect from 12th September 2025, prior to the date of the AGM. Accordingly, the said resolution will not be placed before the members for approval.
Members are requested to take note of the following modifications in the AGM Notice:
1. Ordinary Business – Item No. 2 relating to the re-appointment of Mr. Krishna Agarwal is deleted.
2. Note No. 19 in the Notice stands removed.
3. The subsequent agenda items (from Item No. 3 to Item No. 6 in the Explanatory Statement) shall be renumbered sequentially.
The Members are requested to read the AGM Notice dated September 07, 2025 in conjunction with this Addendum/Corrigendum for modifications and/or insertions in the Explanatory Statement of the AGM Notice as mentioned above.
All other contents of the AGM Notice, save and except as modified and/or inserted by this Addendum/Corrigendum, shall remain unchanged.
This Corrigendum is also being published in the Financial Express (English Language) and Hukmnama Samachar(Hindi Language) and will also be made available on website of Stock Exchange(e.g. National Stock Exchange of India Limited) and on the website of the Company at: www.bohraindustries.com.
By Order of the Board of Directors
of Bohra Industries Limited
Sd/- Anshu Kumar Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Udaipur
Date : 26.09.2025